

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 69/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 26th सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 798 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"18.	8518	सभी वस्तुएं जो कि निम्नलिखित से भिन्न हों:- (i) स्पीकर्स, और; (ii) सेल्यूलर मोबाइल फोन्स के सभी पार्ट्स, यथा:- (1) माइक्रोफोन; (2) वायर्ड हेडसेट; और (3) रिसीवर	10%	-"

2. यह अधिसूचना 27 सितम्बर, 2018 से लागू होगी ।

[फा.सं.354/374/2018-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 798(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 37/2018 - सीमा शुल्क, दिनांक 02 अप्रैल, 2018, सा.का.नि. 325 (अ), दिनांक 02 अप्रैल, 2018, के द्वारा संशोधन किया गया था ।